**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(अनुभाग–3)**

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / 133428 / 2017 — जयपुर, दिनांक : 4 SEP 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्यस्थल एवं ग्राम पंचायत पर आवश्यक रिकार्ड के संबंध में।**

संदर्भ :– **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 03.08.2017**

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा संदर्भित पत्र एवं समय–समय पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत **कार्यस्थल प्रबन्धन एवं ग्राम पंचायत पर आवश्यक दस्तावेज संधारण** के संबन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है परन्तु खेद का विषय है कि मेरे स्वयं के **निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित नही** की जा रही है। इससे भी **अधिक गंभीर बात यह है कि कार्यक्रम अधिकारी को इन निर्देशों के संबन्ध में कोई जानकारी ही नही** है। पूर्व में जारी **मुख्य निर्देश पुनः दोहराये** जाते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि **भविष्य में पुनरावृत्ति पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही अमल** में लायी जायेगी।

1. **जॉबकार्ड के पूर्णरूपेण भर जाने, फट / नष्ट हो जाने** के उपरान्त जॉबकार्ड का **नवीनीकरण** आवश्यक रूप से किया जावे एवं **जॉबकार्ड की मांग** किये जाने पर **अधिनियम के प्रावधानानुसार नया जॉबकार्ड** जारी किये जावे। इस संबन्ध में यह नही कहा जावे कि जॉबकार्ड / स्टेशनरी आदि के लिए राशि उपलब्ध नही है या इन पर रोक लगी हुई है। साथ ही जॉबकार्ड **अद्यतन** रखे जावे।
2. **प्रत्येक कार्यस्थल** पर **स्थायी "नागरिक सूचना बोर्ड"** जिस पर कार्य के संबन्ध में **पूर्ण जानकारी** अंकित हो, **अनिवार्य रूप** से लगाये जावे।
3. **प्रत्येक कार्यस्थल पर** महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 में वर्णित **मूलभूत सुविधाए यथा छाया, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा हेतु दवाईयां** आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जावे।
4. प्रत्येक कार्यस्थल पर, **कार्य की पत्रावली जिसमें प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृति की प्रति, कार्य का विस्तृत तकमीना, कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व की फोटो, पूर्व में उपयोग में ली गयी मस्टररोल की फोटोप्रति, उपयोग मे ली गयी सामग्री का विवरण, माप पुस्तिका की प्रति** आदि आवश्यक रूप से हो।
5. **ग्राम पंचायत** पर **निम्न 7 रजिस्टर** का संधारण **आवश्यक रूप** से उपलब्ध हो :–
   i. **जॉबकार्ड आवेदन, पंजीकरण, जारी किये गये, परिवार को उपलब्ध कराये गये रोजगार का विवरण रजिस्टर** – रजिस्टर **चार पार्ट** में है जिसमें से **पार्ट–बी Manual** संधारित करना है एवं शेष **तीन पार्ट online print** किये जाने है।
   ii. ग्राम सभा रजिस्टर – **Manual** संधारित किया जाना है।
   iii. कार्य की मांग, उपलब्ध कराये गये कार्य एवं भुगतान का रजिस्टर – **Manual** संधारित किया जाना है।